न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमाः– राजस्व वाद / 33 / 2016

दड़गी देवी पत्नी मंगलाराम जाति मेघवंशी निवासी ग्राम खुड़ी बड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़(सीकर)
– वादी

बनाम्

1. बजरंगलाल पुत्र छोटू जाति मेघवंशी निवासी ग्राम खुड़ी बड़ी तहसील लक्ष्मणगढ (सीकर)
2. पटवारी, पटवार हल्का खुड़ी बड़ी तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर राज0
3. तहसीलदार, तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर (राज0)

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

–ःनिर्णयः– **दिनांक – 10.05.2018**

वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद में सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि भूमि ख0 नं0 124 रकबा 3.0500 हेक्टेयर तन ग्राम खुड़ी बड़ी तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर राज0 में अवस्थित कृशि का त की भूमि है। जिसे आगे वाद पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जावेगा।

यह कि वादग्रस्त आराजी ख0 नं0 124 रकबा 3.0500 हेक्टेयर भूमि में से हिस्सा 1/16 को वादिया ने जरिये विक्रय पत्र दिनांक 06–02–2004 को तत्कालीन खातेदार छोटू पुत्र जालू के अपने 1/8 हिस्से में से 1/2 हिस्सा यानि कुल का 1/16 हिस्सा भूमि भाग का नकद मूल्य भुगतान कर विक्रय पत्र उप पंजीयक कार्यालय लक्ष्मणगढ जिला सीकर में अपने नाम दिनांक 06–02–2004 को पुस्तक संख्या 1 के भाग संख्या 157 के पृशठ संख्या 127 की क्रम संख्या 280 पर पंजीबद्ध करवाया लेकिन वादिया अनपढ़ व देहाती महिला होने के कारण उक्त विक्रय पत्र का नामांतरकरण अपने नाम से राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज नहीं करवा सकें जो अब दर्ज करवाया जाना न्यायोचित है व खातेदारी की उद्घोशणा करवाये जाने की वादीया अधिकारिणी है।

यह कि वादग्रस्त आराजी ख0 नं0 124 रकबा 3.05 हेक्टेयर भूमि में हिस्सा 1/16 यानि रकबा 0.1906 हेक्टेयर भूमि भाग पर वादीया विक्रय पत्र दिनांक 06–02–2004 को पंजीकृत होने के समय से लेकर आज दिवस तक निरन्तर निर्बाध रूप से साधिकार काबिज काश्त है। लेकिन क्रय ुदा भूमि का खातेदारी अधिकार वादीया को प्राप्त नहीं हुआ। जिससे वादीया को असीम क्षति व असुविधा हो रही है। तथा मिलने वाली समस्त राजकीय सहायताओ से भी वादीया को वंचित होना पड़ता है। इसलिये वादग्रस्त आराजी की खातेदार वादीया को अपने 1/16 हिस्सा भूमि भाग को उद्घोशित फरमाया जाना न्यायोचित है।

यह कि वादग्रस्त आराजी पर वादीया का अपनी क्रय ुदा हिस्सा 1/16 भूमि भाग पर काबिज का त निर्बाध रूप से साधिकार चला आ रहा है। लेकिन खातेदारी अधिकार वादीया को प्राप्त नहीं हुआ है जिसके चलते पांच–सात रोज से प्रतिवादी की नियत में खोट पैदा होने पर वादीया को उक्त भूमि से बेदखल करने की धमकियां दी गयी तब वादीया ने दिनांक 27–01–2016 को पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर व नकल लेने पर पता चला कि उक्त वादग्रस्त आराजी की खातेदारी वादीया के नाम दर्ज नहीं है। तब वादीया को वादकारण व हकनालिस प्राप्त हुआ तथा वाद संस्थित करना आव यक हुआ ।

यह कि वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 1 सह खातेदार होने के कारण आव यक पक्षकार बनाया गया है व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 राज्य सरकार के कर्मचारी अधिकारी होने के कारण पक्षकार बनाये गये है लेकिन प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 के खिलाफ वाद प्रस्तूत करने के दो माह पूर्व विधिक नोटिस दिया जाना आव यक है किन्तु वाद अत्याव यक प्रकृति का होने के कारण वाद पत्र प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 को बिना विधिक नोटिस दिये ही वादप्रस्तूत किया जा रहा है कि जिसकी अनुमति हेतु अलग से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80(2) सी.पी.सी. का प्रस्तुत कर दिया गया है।

यह कि वादग्रस्त आराजी ग्राम खुड़ी बड़ी तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर में अवस्थित होने के कारण माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार में होने से श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को हासिल है। यह कि वाद पत्र उचित न्याय शुल्क पर सावधि सादर प्रस्तुत है।

यह कि वादीया निम्न इस्तदुआ करती है किः– (क) कि वाद वादीया बहक वादीया खिलाफ प्रतिवादीगण का इस कदर डिक्री फरमाया जावें कि भूमि ख0 नं0 124 रकबा 3.05 हेक्टर तन ग्राम खुड़ी बड़ी तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर राज0 में अवस्थित भूमि में वादिया को अपनी क्रयशुदा हिस्सा 1/16 भूमि भाग की विक्रय पत्र दिनांक 06–02–2004 के आधार पर

खातेदार काश्तकार उद्घोषित फरमाया जावें तथा वर्तमान खाता वादीया के हक हिस्से से ज्यादा को निरस्त उद्घोषित फरमाया जावें। (ख) कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित फरमाया जावें कि वादीया के अपने 1/16 हिस्से की भूमि भाग के एकांतिक कब्जे का त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखंलदांजी पैदा नहीं करें। तथा आराजी के राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में किसी प्रकार की तब्दीली नहीं करें अन्य दीगर को विक्रय,रहन,अन्तरण करने करवाने से तादौराने दावा बाज रहें। (ग) कि अन्य न्यायोचित सहायता वादीया प्राप्त करने की अधिकारिणी हो वह प्रतिवादी से दिलवायी जावें।

दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरीये नोटिस प्रतिवादीगण को तलब किया गया। जिसमें प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 पर विधिवत तामील हो चुकी है। प्रतिवादी सं. 1 कि ओर से इकबाली जवाब दावा पेश हुआ। इसी दौरान पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प नरोदड़ा में पेश हुई। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों व दस्तावेजात आदि तथा इकबाली जवाब दावा का अवलोकन किया। वकील वादी कि ओर से इस बाबत ग्राम पंचायत, खुड़ी बड़ी कि ओर से जारी वर्णित छोटूराम पुत्र जालू का वारिस प्रमाण पत्र पेश किया तथा उक्त छोटूराम की पत्नी नानुदेवी का मृत्यु प्रमाण–पत्र पेश किया। जिनको शामिल पत्रावली किया गया। जिसमें पत्रावली में वर्णित तथ्यों, प्रस्तुत इकबाली जवाब दावा व उभयपक्ष की बहस सुनने के बाद वादी का वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

वादिया का वाद डिक्री किया जाता है कि भूमि ख0 नं0 124 रकबा 3.05 हेक्टर तन ग्राम खुड़ी बड़ी तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर राज0 में अवस्थित भूमि में वादिया को अपनी क्रयशुदा हिस्सा 1/16 भूमि भाग की विक्रय पत्र दिनांक 06–02–2004 के आधार पर खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है। वर्तमान खाता में बजरंगलाल पुत्र छोटू (अर्थात् छोटू के हिस्से में आने वाली भूमि) के हिस्से में आने वाली भूमि में से उक्त वादीया के हक हिस्से 1/16 भूमि की कमी की जाकर शेष यथावत रखा जाता है। उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात किया जावें। रहन यथावत रहेगा। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरमीम तकमील दाखिल दफ्तर अभिलेखागार हो।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर केम्प कोर्ट खुड़ी बड़ी में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official